सेवा में
अंचल अधिकारी,
बेरमो बोकारो।

विषय - अतिक्रमण मुक्त कर उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मो साजिद हुसैन पिता - रसीद अंसारी सा० - राजाबेड़ा ढोरी का रहने वाला हूँ। श्रीमान कार्यालय से अतिक्रमण से संबंधित नोटिस प्राप्त है।

अतः श्रीमान को सूचित करना है कि मेरे द्वारा अतिक्रमण हटा (मुक्त) कर लिया गया है इसकी सूचना आज दिनांक 19/05/2023 को दे रहा हूँ।

आपका विश्वासी
Sajid Ansari
मो० साजिद हुसैन
पिता - रसीद अंसारी -
सा० - राजाबेड़ा (फुसरो)
दिनांक - 19/05/23

महाशय
हल्का कर्म० द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। पाया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा लिया गया है। [illegible] सूचनार्थ [illegible] कार्रवाई हेतु समर्पित।
ह० 19/5/2023
हल्का कर्मचारी

आदेश फलक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अतिक्रमण अभिलेख सं0– 01/2023-24	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी सहित
06.05.2023	राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक, बेरमो (प्रथम पक्ष) के द्वारा आवेदित किया गया है कि मौजा–ढोरी, थाना नं0–68 खाता नं0–131 प्लॉट सं0–3189 पर उक्त भूमि में मो0 साजिद हुसैन पिता–रसीद अंसारी, पता–राजबेड़ा (द्वितीय पक्ष) के द्वारा चाय दुकान खोल कर अतिक्रमण किया गया है। झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप–धारा (2) के तहत् (द्वितीय पक्ष) को नोटिस निर्गत करें एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 12.05.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	
12.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त है अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित पाये गयें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	
19.05.2023 20.05.2023	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में शपथ पत्र दायर करने जाने के कारण ई–न्यायालय कोर्ट स्थगित किया जाय। अभिलेख दिनांक 23.05.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	
23.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त है अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष उपस्थित हुयें। इन्होंने आवेदित किये है कि मेरे द्वारा मौजा–ढोरी, थाना नं0–68 खाता नं0–131 प्लॉट सं0–3189 पर अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा भी उस आशय का प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमणकारी के द्वारा उक्त भू–खण्ड को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो) अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2023.05.24 17:14:42 +05:30
Location: 192.168.29.161